भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 968

25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सीजीएचएस दरों में संशोधन

968. श्री बी. वाई. राघवेन्द्रः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह देखते हुए कि विगत पाँच वर्षों से सीजीएचएस की दरें अपरिवर्तित रही हैं, इनकी दरों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास सीजीएचएस दरों में संशोधन के लिए कोई योजना और समय-सीमा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सीजीएचएस दरों में अंतिम संशोधन कब हुआ था;

(ग) 50 से अधिक बिस्तरों वाले कुल निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की संख्या कितनी है;

(घ) सीजीएचएस, एबीवाई और ईएसआई योजनाओं के अंतर्गत सूचीबद्ध 50 से अधिक बिस्तर क्षमता वाले निजी अस्पतालों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सिजेरियन सेक्शन, एपेंडेक्टोमी, हर्नियोटॉमी और क्रैनियोटॉमी जैसी सामान्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए प्रयोगशाला शुल्क, जो वर्ष 2014 से अपरिवर्तित रहा है, उन दरों में कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): सीजीएचएस पैकेज की दरों में संशोधन एक सतत प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में, सीजीएचएस द्वारा (i) परामर्श शुल्क, आईसीयू दरें और कमरे का किराया, (ii) 36 रेडियोलॉजिकल जाँच और अन्य जाँचें, (iii) 43 कार्डियोलॉजी प्रक्रियाओं और इमेजिंग तथा (iv) 58 सामान्य सर्जरी को क्रमशः दिनांक 12.04.2023, 19.06.2023, 19.12.2023 और 01.02.2024 को संशोधित किया गया है।

मंत्रालय द्वारा जांच और प्रक्रियाओं की पूरी सूची में बदलाव की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत नई दरों के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया है। सीजीएचएस द्वारा एनएचए के साथ समन्वय करके सीजीएचएस के लिए बिल क्लियरिंग सॉफ्टवेयर का एक नया संस्करण तैयार किया गया है, जिससे नई दरों और पैनलबद्धता के नियमों और शर्तों को एक साथ लागू किया जा सके।

50 से अधिक बिस्तरों वाले कुल 992 निजी अस्पताल सीजीएचएस के अंतर्गत, 1198 ईएसआईसी के अंतर्गत तथा 2503 पीएमजेएवाई/एबीवाई के अंतर्गत पैनलबद्ध हैं।

******